प्रेस नोट
दिनांक 21.08.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी के 02 अदद इन्वर्टर, 02 अदद बैट्री व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-54/2024 धारा 379 IPC व मु0अ0सं0 227/2025 धारा 317 (2) BNS थाना खोडारे जनपद गोण्डा से सम्बन्धित अभियुक्तगण- 01. विजय कुमार पुत्र लक्ष्मण कुमार 02. दुर्जन उर्फ सूरज पुत्र नेबुलाल व 03. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 चिद्दू को गौरा चौकी सादुल्लानगर मार्ग सागौन का बाग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही से 02 अदद इन्वर्टर, 02 अदद बैट्री व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रमजान पुत्र रईस अहमद निवासी फरेन्दा खुर्द थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 19/03/2024 को उसके घर से अज्ञात चोर द्वारा मोटर साइकिल SPENDORXTEC नं0 UP43BA5684चोरी कर ली गई है, तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में 54/2024 धारा 379 IPC पंजीकृत हुआ। दिनांक 20.08.2025 को रात्रि गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान खोड़ारे पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. विजय कुमार पुत्र लक्ष्मण कुमार 02. दुर्जन उर्फ सूरज पुत्र नेबुलाल व 03. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 चिद्दू को गौरा चौकी सादुल्लानगर मार्ग सागौन का बाग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही से 02 अदद इन्वर्टर, 02 अदद बैट्री व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खोड़ारे पर 227/2025 धारा 317 (2) BNS पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करके मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विजय कुमार पुत्र लक्ष्मण कुमार उम्र 26 वर्ष निवासी भानपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।
02. दुर्जन उर्फ सूरज पुत्र नेबुलाल उम्र 19 वर्ष निवासी भानपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्ड ।
03. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. चिद्दू उम्र 22 वर्ष नि० पिपरा अदाई थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. एक अदद मोटरसाइकिल नं0 UP 43 BA 5684
02. 02 अदद इन्वर्टर व 02 अदद बैटरी

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-54/2024 धारा 379 IPC थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0 227/2025 धारा 317 (2) BNS थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 राम अशीष मौर्य
02. हे0का0 शिवकमार नायक
03. हे0का0 पंकज यादव
04. का0 सत्यव्रत यादव
05. का0 सचिन
06. कां0आशीष गंगवार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.08.2025,
जनपद - गोण्डा।

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित हत्याभियुक्ता गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कटरा बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित हत्याभियुक्ता निशा शुक्ला पत्नी स्व0 शिवम शुक्ला को ग्राम पहाडापुर उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.2025 को वादी लल्लू शुक्ला पुत्र बनवारी लाल शुक्ला नि0 ग्राम पहाडापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटरा बाजार में लिखित तहरीर दी गयी जिसमें बताया गया कि प्रार्थी के बड़े लड़के शिवम् शुक्ला की शादी करीब 03 वर्ष पूर्व निशा शुक्ला पुत्री माधवराज तिवारी निवासी ग्राम भगहरिया डीहा थाना कौडिया जनपद गोण्डा के साथ हुई थी। बहू निशा शुक्ला उनके लडके शिवम् से अक्सर ही झगड़ा किया करती थी, और उसका आचरण भी ठीक नही था, दिनांक 16/17.8.2025 की रात में उनकी बहू निशा व कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर उनके बेटे शिवम् की गला दबाकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 21.07.2025 को थाना कटरा बाजार पुलिस टीम द्वारा हत्याभियुक्ता निशा शुक्ला पत्नी स्व0 शिवम शुक्ला को ग्राम पहाडापुर उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्ता का विवरण-

1. निशा शुक्ला उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री माधवराज तिवारी पत्नी स्व0 शिवम शुक्ला निवासी ग्राम पहाडापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार सिंह
02. हे0कां0 अजीत यादव
03. कां0 विकास यादव
04. म0कां0 प्रियंका यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 21.08.2025
जनपद गोण्डा

रिजर्व पुलिस लाइन सभागार गोण्डा में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा की गई अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक अभियोजन कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश गंभीर प्रकरणों की पैरवी पर विशेष ध्यान दें – जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक

आज दिनांक 21.08.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार, गोण्डा में जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की संयुक्त अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अभियोजन कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों की स्थिति, अभियोजन अधिकारियों द्वारा की गई पैरवी एवं न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी महोदया ने अभियोजन कार्यों को प्रभावी, समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर बल दिया। महोदया ने कहा कि अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारीगण अपने अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा विशेष रूप से यह निर्देश दिए गए कि गंभीर, संगीन एवं महिला/बाल अपराधों से संबंधित मामलों में अभियोजन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और दोषियों को कठोर दंड दिलाने हेतु समुचित पैरवी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एवं अभियोजन कार्यों में समन्वय बनाकर कार्य करने से न्यायालय की कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, जिला प्रोबेशन अधिकारी समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी एवं अन्य अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण बैठक में उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा कर कमियों को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण पैरवी करने एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.08.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार,उनके कब्जे से चोरी के 02 अदद गैस सिलिण्डर बरामद-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-264/2025 धारा 305(E),331(4),317(2) BNS थाना तरबगंज जनपद गोण्डा से सम्बन्धित अभियुक्तगण- 01. वसीम पुत्र चुन्ने व 02. असफाक पुत्र इकबाल को परसदा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद गैस सिलिण्डर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलसर की प्रधानाध्यापिका अनुराधा शुक्ला पति राजेश शुक्ला द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 19/08/2025 को उनके स्कूल से अज्ञात चोर द्वारा एक भरा सिलेण्डर दो खाली सिलेण्डर मध्यान्ह भोजन का खाद्यान्न गेहूं लगभग 01 बोरी, चावल 2 बोरी, तीन डेग बड़ा, 1 कुकर 10 ली0,2 कल्छुल, 2 चम्मच व कतिपय अभिलेख चोरी कर लिए गये हैं, तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0 264/25 धारा 305(E)/331(4)/317(2) BNS पंजीकृत हुआ। दिनांक 21.08.2025 को देखभाल क्षेत्र व रात्रि गश्त के दौरान सूचना पर तरबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. वसीम पुत्र चुन्ने व 02. असफाक पुत्र इकबाल को परसदा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही से 02 अदद गैस सिलेण्डर बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01.वसीम पुत्र चुन्ने उम्र करीब 23 वर्ष निवासी बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. असफाक पुत्र इकबाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 02 अदद गैस सिलेण्डर

अनावरित अभियोग-
01. मु0अ0सं0-54/2024 धारा 379 IPC थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 227/2025 धारा 317 (2) BNS थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय
02. का0 महेश यादव
03. कां0 अमित कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।